संख्या 91 / लोनि–1 / 04–47(सा0) / 2003टी0सी

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर–1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी,2004

विषयः–मा0मुख्य मंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित कार्यो की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–532 / 2याता0–उत्तरांचल / 2003 दिनांक 28जनवरी 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 23–4–2003 को जनपद पौडी गढवाल के कोटद्वार भ्रंमण के समय की गई घोषणाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन कार्यो के शासन को उपलब्ध कराये गये रूपये 360.00लाख के आगणनों के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई रूपये 341.00 लाख की(रू0 तीन करोड इकतालीस लाख) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कार्य हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार उसके सम्मुख कालम–5 में इंगित रूपये 1.20लाख (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र)की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपालमहोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :– (धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत	अनुमोदित लागत	व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5
1	पौडी गढवाल में बल्ली– मथाना सिमलना मोटर मार्ग का निर्माण	153.00	153.00	0.50
2	पौडी गढवाल में ऐता–उमरेला–चरेक मोटर मार्ग का निर्माण	153.00	153.00	0.50
3	ऐता उमरेला हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	54.00	35.00	0.20
	योग	360.00	341.00	1.20

2 यह स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि उपरोक्त कार्यो में से कोई कार्य किसी अन्य योजना अथवा विभागीय बजट में स्वीकृत हो गया हो तो उस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण नही किया जायेगा तथा वह धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जायेगी

3. व्यय करते समय बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका स्टोर पर्चेज रूल्स,टैण्डर विषयक नियम एवं शासन के अन्य विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा । व्यय किसी अन्य कार्य पर न करके इसी अनुमोदित कार्य पर किया जायेगा ।

4. आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों का पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा ले,निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा ।

8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायं,कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2004 तक करने के उपरान्त कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।यदि उसका उपयोग उक्त अवधि में नही होता है तो इसका समस्त दायित्व एवं कार्य की गुणवत्ता का समस्त दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा ।

10. उक्तव्यय चालू वित्तीय वर्ष2003–2004 केअनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–5054–सडको पर पूंजीगत परिव्यय–04जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800 अन्य व्यय–03 राज्य सैक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0 सं0–2838 /04 दिनांक 15–2–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव।

संख्या 91 (1)/लोनि–1/04 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखकार(लेखा प्रथम)उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून।
2 आयुक्त,गढवाल मण्डल,पौडी ।
3 अपर सचिव,वित्त बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन ।
4 निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल ।
5 निजी सचिव मा0 मंत्री जी लोक निमाण को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ ।
6 मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लोक निर्माण विभाग,पौडी ।
7 जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी,पौडी।
8 अधीक्षण अभियन्ता,36 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग,पौडी ।
9 वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
10 लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव।